वर्षा के पानी का वितरण

3361. **श्री बरजिन्दर सिंह:**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल कृषि भूमि में लगभग 2/3 भूमि सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर करती है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है;

(ग) क्या सरकार ने इस भूमि पर होने वाली वर्षा की औसत मात्रा का कोई आकलन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो इन आकलनों के अनुसार अलग-अलग कितनी भूमि कम वर्षा, कितनी भूमि सामान्य वर्षा और कितनी भूमि अधिक वर्षा वाली आंकी गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने भूमि के इन अलग-अलग क्षेत्रों में वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई परियोजना तैयार की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 (नवीनतम) के लिए प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़ों (एल०यू०एस०) के अनुसार 142.82 मिलियन हेक्टेयर के निवल बुवाई क्षेत्र (एन०एस०ए०) में से निवल सिंचित क्षेत्र (एन०आई०ए०) लगभग 52.99 मिलियन है जो निवल बुवाई क्षेत्र के लगभग 37% से बना है और कुल वर्षा पोषित क्षेत्र 89.82 मिलियन हेक्टेयर है जो निवल बुवाई क्षेत्र के लगभग 63% से मिलकर बना है।

(ग) और (घ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न वर्षापात रेंजों के तहत उप प्रभागों/राज्यों तथा देश की प्रतिशतता का शामिल क्षेत्र इस प्रकार है:—

वर्षापात रेंज	उपप्रभाग/राज्य का नाम	देश के क्षेत्र की प्रतिशतता
75 सेमी से कम	पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी भाग, पंजाब, रायलसीमा, सौराष्ट्र व कच्छ, पश्चिमी राजस्थान।	21%
75 सेमीसे 150 सेमी तक	बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ।	64%
150 सेमी से अधिक	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम व मेघालय, तटीय कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों, हिमाचल प्रदेश, केरल, कोंकण व गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उप-हिमालयों, पश्चिम बंगाल व सिक्किम, त्रिपुरा।	15%

(ङ) वर्ष 1951-52 में नियोजित विकास की शुरूआत से नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के अलावा, सरकार ने जल विभाजक प्रबंधक दृष्टिकोण के जरिए व्यापक वर्षा पोषित क्षेत्रों के एकीकृत और संपूर्ण विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०) शुरू की है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उत्पादन और पशुधन खेती सहित कृषि योग्य और गैर-कृषि योग्य भूमि में मृदा और जल संरक्षण, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट और उत्पादन प्रणाली जैसे कार्यक्रम उपायों में सहायता करता है। मृदा और जल संरक्षण उपायों के तहत सतही अपवाह को भूमि जल पुनर्भरण में बदले पर ध्यान देते हुए स्वस्थाने वर्षा जल संरक्षण को महत्व दिया गया है, जो बदले में उपचारित जल विभाजकों में उत्पादन प्रणालियों को कायम रखने के लिए प्रयुक्त होती है।

आठवीं योजना के दौरान वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के तहत वर्षा जल के संरक्षण के लिए विभिन्न तकनीकी घटक में निम्नलिखित सम्मिलित हैं;

—ड्रेनेज लाइनों के उपचार में कन्टूर खानस्पतिक झांड़ियों का उपयोग, सतत कन्टूर ट्रेन्चेज, लूज बोल्डर चेक्स, गुल्ली प्लगिंग, फिल्टर स्ट्रिप्स का उपयोग आदि।

—इसके अतिरिक्त वर्षा जल का संरक्षण जल कृषि संरचना, अपवाह प्रबंधन संरचना, जलमग्न तालाबों/गड्ढे (डग-आट्स) खेत तालाब आदि के रूप में भी किया जाता है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित वर्षापोषित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना की वास्तविक स्थित।

वास्तविक स्थिति (हेक्टेयेर में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना के लक्ष्य	राज्यों द्वारा लिए गए जल विभाजक	जल विभाजकों के तहत सम्मिलित क्षेत्र	विकसित वास्तविक क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	197150	74	191949	176939
अरुणाचल प्रदेश	2800	3	1970	1970
असम	60200	110	104973	70221
बिहार	137200	191	98978	23189
गोवा	3075	4	3808	2100
गुजरात	208025	168	334261	292579
हरियाणा	40600	5	18725	20272
हिमाचल प्रदेश	14000	58	37240	34309
जम्मू और कश्मीर	12050	44	22000	14044
कर्नाटक	250600	85	357607	485109
केरल	54025	114	88276	88276
मध्य प्रदेश	458375	385	749641	660202
महाराष्ट्र	455000	266	917900	879886
मणिपुर	1975	5	6821	8682
मेघालय	3925	8	4110	2877
मिजोराम	1675	20	17666	18198
नागालैंड	3625	28	14125	14510
उड़ीसा	136350	258	388865	295000
पंजाब	15950	13	19270	18035
राजस्थान	339950	204	533939	547931
सिक्किम	1675	12	7031	7626
तमिलनाडु	89025	88	175784	172657
त्रिपुरा	6175	17	7634	769
उत्तर प्रदेश	208600	186	233295	303683
विशेष समस्या क्षेत्र	—	16	94421	—
पश्चिम बंगाल	95250	165	150000	131000(*)
दादर और नगर हवेली	575	3	692	84
अण्डमान और निकोबार	825	4	2169	1785
अन्य	700	—	—	—
कुल	2800000	2554	4584266	4278858

(*) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आठवीं योजना से व्यय के अंतिम आंकड़े और उपचारित क्षेत्र अभी प्रस्तुत किया जाना है।